राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी
जिला-झुझुनू

* जाति प्रमाण-पत्र *

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारो द्वारा
अपने दावे केन्द्रो में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

क्रमांक : FJS/2012/Misc/Digital Caste (SC/ST)/8844

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रतीक पुत्र श्री हीरालाल मीना निवासी- छापौली, जिला झुझुनू राजस्थान राज्य मे मीना (9) के अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य है, जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 संविधान अण्डमान निकोबार अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1956 के अन्तर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम जाति मानी जा चुकी है।

प्रतीक और इसका परिवार साधारणत: छापौली राज्य सघ क्षेत्र राजस्थान के जिला झुझुनू के निवासी है।

आज दिनाक 09-08-2012 को यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया है।

नोट :

1. यहाँ स्थाई साधारणत: निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 मे है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना स.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यु./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध मे कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. पार्टी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित पदेन अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अत: सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. पार्टी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी

Signature valid
Digitally signed by
KARTAR SINGH
Date: 2012.08.10
08:02:26 IST
Reason: SCM
Location: Rajasthan

1205022510029074